>

Title: Need to take stringent action against persons indulging in child trafficking in the country.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदया जी, मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं जो विषय लाना चाहता हूं उस समय आप सभापति के पद पर आसीन हैं, माननीया कृष्णातीरथ जी यहां पर बैठी हुई हैं।

हमारे यहां पिछले दिनों बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के गुम होने की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और जो बच्चे चोरी होते हैं, या जिनका अपहरण होता है, उन बच्चों के गलत हाथों में पड़ने की संभावना होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर साल 45 हजार बच्चे खो जाते हैं लेकिन संख्या वास्तविक रूप में सारे देश में इससे कई गुना ज्यादा है। इसमें सबसे अधिक 6.7 प्रतिशत बच्चे दिल्ली के होते हैं। देश की राजधानी से प्रतिदिन लगभग 4 से 6 बच्चे गुम होते हैं और उनमें से बहुत बड़ी संख्या उन बच्चों की होती है जो मजदूरी करने के लिए ठेकेदारों के पास मजदूर के रूप में आते हैं। ये बच्चे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार से आते हैं। मजदूरों के बच्चे जब लापता हो जाते हैं और उनके मां-बाप पुलिस चौकी में जब रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है और आखिरकार वे पलायन करके यहां से चले भी जाते हैं, ऐसे सारे बच्चों की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है और उनकी गुमशुदगी प्रकाश में भी नहीं आती है। संगठित गिरोह के लोग ऐसे बच्चों को अपहृत करके ले जाते हैं और ये बच्चे उनके लिए लाखों रुपये के होते हैं क्योंकि उन बच्चों से ये लोग बाल-भिक्षा-वृत्ति करवाते हैं, उनकी ब्लू-फिल्म बनाते हैं, उनके दिल जिगर और गुर्दे बेचे जाते हैं और उन बच्चों का उपयोग खतरनाक औद्योगिक इकाइयों में समेत, घर में सस्ते बाल मजदूर के रूप में, भीख मंगवाने में, गोद देने में, जबरन शादी करने और मानव अंगों की तस्करी करने में किया जाता है। निठारी की घटना मानवता के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है, जिसे हमारा समाज आज तक भूल नहीं पाया है।

अरब देशों में यहां से बहुत सारे बच्चे भेजे जाते हैं और उन बच्चों को ऊंटों पर बांधकर दौड़ाया जाता और जब ऊंट तेजी से दौड़ते हैं तो ये बच्चे चीखते-चिल्लाते हैं तो वहां के दर्शक खुशी मनाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 7 करोड़ बाल मजदूर हैं जिनमें से कई लाख गुम हुए बच्चे हैं, चोरी के बच्चे हैं। तीस लाख से ज्यादा बच्चे सड़कों पर रह रहे हैं तथा 6 हजार ऐसे रेलवे स्टेशन्स हैं जहां लावारिस या घरों से भागे हुए बच्चे अपने ही जैसे दूसरे बच्चों के साथ में समूह बनाकर रहते हैं और समाज में इनकी छवि नशा करने वाले, चोरी करने वाले बच्चों के रूप में होती है। इसके दूसरे पहलू को लोग नहीं जानते हैं। ये बच्चे अनेक तरह के शोषण के शिकार होते हैं और दबंग लोग इनसे बिना मजदूरी के काम करवाते हैं तथा आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल होने के लिए इन्हें बाध्य करते हैं।

मैं टीकमगढ़ के एक बच्चे की घटना बता रहा हूं। एक 6-7 साल का बच्चा टीकमगढ़ से चोरी करके यहां लाया गया था। यहां पॉउच में पानी भरने के कारखाने में उसे लगभग 7-8 साल रखा गया। वह 14 साल की उम्र में यहां से भाग कर वापस अपने घर गया। ऐसे न जाने कितने बच्चे यहां हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार ने बच्चों की चोरी और खरीद-फरोख्त करने के संबंध में बहुत सारे कानून बनाये हैं लेकिन उन कानूनों का पालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। हमारे तंत्र की ढिलाई इसमें सबसे बड़ा कारण है। कानून तभी कारगर होगा जब पुलिस और प्रशासन पूरी संवेदना के साथ सख्त कदम उठाए और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करे। निगरानी तंत्र बनाने की बात जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा की गयी है, माननीय कृष्णातीरथ जी यहां बैठी हुई हैं, मेरा कहना है कि निगरानी तंत्र को जब तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक चोरी किये जाने वाले बच्चों की घटनाओं में, उनके लापता होने की घटनाओं में कमी नहीं आयेगी।

अंत में मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं कि आप भी एक महिला हैं और महिला होने के नाते मां के आंचल के दर्द को आप अच्छी तरह से महसूस कर सकती हैं। केन्द्र सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और बच्चों के गुम होने, चोरी होने की घटनाओं पर सख्ती से कदम उठाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया :

श्री वीरेन्द्र कश्यप और

श्री अर्जुन राम मेघवाल को वीरेन्द्र कुमार के विषय के साथ एसोसिएट किया जाता है।